न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 01/2021
दायर दिनांक : 01.01.2021
आदेश दिनांक : 27.02.2026

1. श्रीमती विजयलक्ष्मी पत्नी श्री सुरेशचन्द्र पूर्बिया, जाति पूर्बिया, उम्र 48 वर्ष, निवासी गीताजंली, हरकुण्डेश्वर महोदव के पास, स्टेशन रोड़, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती लीला देवी पत्नी श्री अर्जुनलाल पूर्बिया, जाति पूर्बिया, उम्र 54 वर्ष, निवासी गली नम्बर 02, स्वास्तिक सिनेमा के पास, स्टेशन रोड़, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती सीता देवी पत्नी नारायण लाल पूर्बिया, जाति पूर्बिया, उम्र 47 वर्ष, निवासी गली नम्बर 03, स्वास्तिक सिनेमा के पास, स्टेशन रोड़, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

— प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमान् परियोजना निदेशक महोदय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन ईकाई 6–ए–1 आर.सी.कॉलोनी, भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. श्रीमान् सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट महोदय, राजसमन्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमान् तहसीलदार साहब, राजसमन्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

— विपक्षीगण

याचिका बाबत् मध्यस्थता अन्तर्गत धारा 3 (जी) (5) दी नेशनल हाईवेज अमेण्डमेन्ट एक्ट, 1997 के तहत प्रार्थी को वर्तमान डी.एल. सी. दर से भूमि अवाप्त की, का मुआवजा एवं ब्याज प्राप्त करने हेतु

एवं आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 5 छ उप धारा 5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम

प्रार्थना–पत्र बाबत् प्रार्थी को अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा राशि एवं तोषण राशि का भुगतान पर भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनः व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पादर्शिता अधिनियम, 2013 के प्रावधानो के तहत एवार्ड राशि मय ब्याज दिलाने बाबत।

एवं प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 3 मध्यस्थता अधिनियम एवं सपठित धारा 3 ई राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम एवं अन्य धाराएं।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उपस्थित :–

1. श्री जितेन्द्र खटीक, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री अनुराग शर्मा अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
3. श्री गिरीश तिवारी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2
4. श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3

:: निर्णय ::

प्रार्थी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997 के तहत अंतर्गत धारा 3 जी उपधारा 5 के अधीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम रावों का खेड़ा, पटवार हल्का घाटी, तहसील व जिला राजसमन्द में आराजी संख्या 145 की भूमि व अन्य सम्पत्ति, जो विपक्षीगण द्वारा अवाप्त कर ली गई और अवार्ड पारित किया गया, जो पत्रावली/अधि. सू.क्रमांक 3014 (अ) दिनांक 04/10/2013/ दिनांक 02/07/2015 है। उपरोक्त भूमि एवं उससे सम्बन्धित सम्पत्ति हेतु 10,30,320/– अक्षरे दस लाख तीस हजार तीन सौ बीस रूपये का अवार्ड जारी कर प्रार्थीगणा को अदा किया गया। प्रार्थीगण को जब राशि अदा की गई, तो आश्वस्त किया गया था कि अन्य शेष अवार्ड राशि कुछ समय पश्चात् अदा कर दी जायेगी, जिस बाबत् आपको कार्यालय तथा अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस कारण प्रार्थीगण सम्पति अनुसार शेष बकाया राशि के अवार्ड का इंतजार करते रहे और समय गुजरता गया, परन्तु कोई राशि प्रार्थीगण को अदा नहीं की गई। इस प्रकार अवार्ड की सही निर्धारण अनुसार पूर्ण राशि आज तक विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण को अदा नहीं की गई है, जिससे प्रार्थीगण पूर्णतया असंतुष्ट होकर व्यथित है। उक्त आराजी के सम्बन्ध में विपक्षीगण द्वारा (कुंआ सरंचना, मकान आदि बारकोट अन्य) सम्पत्ति का मुआवजा राशि 1,03,241/– अदा किये गये है जो मुआवजा राशि विपक्षीगण द्वारा बहुत ही कम दी गई है, जबकि उस समय बाजार दर अनुसार करीबन 10,00,000/– अक्षरे दस लाख रूपये का खर्च कर बाउण्ड्री का निर्माण करवाया था व वर्तमान में भी इससे अधिक राशि बाउण्ड्री निर्माण में खर्च होती है। इस प्रकार प्रार्थीगण 10,00,000/– अक्षरे दस लाख रूपये अतिरिक्त पाने की अधिकारीणी है। साथ ही विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीग्ण की उक्त अवाप्त भूमि की जो मुआवजा राशि 9,27,079/– अक्षरे नौ लाख सत्ताईस हजार उन्यासी रूपये रूपये दी गई है, वह बहुत ही कम दी गई है, जबकि उक्त भूमि का तत्कालिन बाजार मुल्य 14,00,000/– अक्षरे चौदह लाख रूपये प्रति बीघा है और उक्त अवाप्त भूमि के आसपास की भूमियों का पंजीयन भी 10 से 14 लाखा प्रति बीघा से हो रखा है। इस प्रकार प्रार्थीगण उक्त अवाप्त भूमि के 36,00,000/– अक्षरे छत्तीस लाख रूपये लगभग अतिरिक्त मुआवजा राशि पाने का अधिकारी है व उक्त राशि पर ब्याज व मानसिक संताप राशि के रूप में र 4,00,000/– अक्षरे चार लाख रूपये भी प्राप्त करने की अधिकारीणी है। इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा अवाप्त भूमि व उस पर स्थित सम्पत्ति आदि हेतु प्रार्थीगण, विपक्षीगण से अवार्ड राशि से अतिरिक्त राशि उपर वर्णित अनुसार 54,00,000/– अक्षरे चौवन लाख रूपये लगभग प्राप्त करने के अधिकारी है तथा उक्त राशि पर अवार्ड तारीख से आज तक 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त अवाप्ति कार्यवाही में मुआवजा राशि नेशनल हाईवे प्राधिकरण भारत सरकार सड़क परिवजन एवं राज्य मंत्रालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 12/05/2015 के जरिये यह निर्देशित किया गया है, कि भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत एवार्ड राशि अदा करने के निर्देश दिये गये थे। इस प्रकार वर्ष 2013 भू–अवाप्ति अधिनियम के प्रावधान नेशनल हाईवे प्राधिकरण में भी लागू लिये जा चुके थे तथा एवार्ड की तारीख से पूर्व यह प्रावधान लागू किये जा चुके थे, जिसके अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण कया जावें। उक्त अधिनियम के प्रावधानो के तहत प्रार्थी को नये अधिनियम के प्रावधानो की पालना में तय किये गये दिशा निर्देश अनुसार भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 105 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर क्षतिपूर्ति राशि प्रथम अनुसूचि के अनुसार तय करने के निर्देश दिये गये है, लेकिन उक्त प्रकरण में भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 लागू होने के उपरान्त भी प्रथम अनुसूचि के अनुसार भूमि का मुआवजा तय नहीं किया गया है एवं प्रार्थीगण को अन्य के मुकाबलें बहुत कम मुआवजा दिया गया है। उक्त अनुसार प्रार्थीगण की मुआवजा राशि तय कराई जावें तथा मुआवजा/क्षतिपूर्ति राशि के साथ शत प्रतिशत तोषण राशि (solatium) भी प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। भू–अवाप्ति अधिनियम, 2013 की धारा 26–27 के प्रावधानो के तहत मुआवजा राशि तय करने के आधार एवं प्रावधान दिये गये है, जिसके तहत कलक्टर द्वारा भूमि के बाजार मुल्य का अवधारण अर्थात उस क्षेत्र में जहां भूमि स्थित है, यथास्थिति विक्रय–विलेख करार में वर्णित बाजार मुल्य या निकटवर्ती पड़ोसी क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिये औसत किमती लिये जाने के प्रावधान है। इस प्रकार नवीन भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 के प्रावधान लागू होने पर उक्त अनुसूचि अनुसार प्रार्थी की भूमि की बाजार दर से 3 गुणा मुआवजा राशि क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करने के प्रावधान है तथा उक्त क्षतिपूर्ति राशि/मुआवजा राशि का शत प्रतिशत तोषण राशि भी अदा करने के प्रावधान हैं भारत सरकार का राजपत्र असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 28, 2015/भाद्र 6, 1937 को जारी एस.डी.पा.स.13011/01/2014/एल.आर.डी. के.टी. कृष्णन अपर सचिव व अन्य आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये है। अतः प्रार्थना है कि धारा 3जी (5) की उपधारा दी नेशनल हाईवे अमेन्डमेन्ट एक्ट 97 व अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि एवं तोषण राशि के भुगतान पर भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनः व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत अवार्ड राशि₹ 54,00,000/– अक्षरे चौवन लाख रूपये मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज से प्रार्थीगण को दिलाई जावें।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अनुराग शर्मा ने उपस्थिति दी तथा विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री गिरीश तिवारी ने उपस्थिति दी तथा विपक्षी संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा, उपस्थित हुए। तथा अधीनस्थ कार्यालय उपखण्ड प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से अवार्ड पत्रावली तलब की गई।

विपक्षी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता ने प्रारम्भिक आपत्ती सहित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ राजस्व ग्राम रावों का खेड़ा, पटवार मण्डल घाटी, तहसील व जिला–राजसमंद में स्थित आराजी नम्बर 145 रकबा 0.4810 हेक्टयर, के अवाप्ति में अवाप्त की गई भूमि के संबंध में नियमानुसार नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 03 (ए) के प्रावधानों के तहत तत्समय अवाप्ति कार्यावाही प्रचलित डी.एल.सी. दर बाबत् उप पंजीयक कार्यालय से प्राप्त जिला स्तरीय कमेटी (डी.एल.सी.) की कोई समुचित रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत नहीं की है जिसके आधार पर विवादित

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः जिला स्तरीय कमेटी (डी.एल.सी.) की समुचित रिपोर्ट के अभाव में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से निरस्त होने योग्य है। प्रार्थीगण की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत भी पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि विवादग्रस्त आराजी नम्बर 145 रकबा 0.4810 हेक्टयर, की भूमि किस श्रेणी में आती है। प्रार्थीगण की और से अवाप्त भूमि के संबंध में आबादी एवं वाणिज्यिक भूखण्डों के स्वामित्व बाबत् किसी भी प्रकार का कोई विधिक दस्तावेज या पट्टा प्रमाण आदि प्रस्तुत नहीं किया जबकि धारा 03 (जी) (7) (ए) में स्पष्ट वर्णित है कि The Market value of the land on the date of publication of the notification u/s 3 (A) ऐसी दशा में जिस दिनांक को नोटिफिकेशन 3 (ए) का प्रकाशन हुआ उस दिनांक को जो भी भूमि की किस्म रही है, उसी का मुआवजा प्रार्थीगण प्राप्त करने की अधिकारीता रखता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा नियमानुसार डी.एल.सी. दर के हिसाब से प्रार्थीगण को अवार्ड जारी किया है। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही जिला कमेटी द्वारा डी.एल.सी. दर निर्धारित कर जारी की गई जो सभी भूमि धारको को दी गई उसी दर से प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि का अवार्ड जारी किया गया। प्रार्थीगण अपनी भूमि का मुआवजा वर्तमान बाजार दर से प्राप्त करना चाहता है प्रार्थीगण अपने मनगढ़त एवं पडौस की भूमि के जारी अवार्ड के आधार पर अवार्ड जारी नही किया जा सकता क्योंकि सभी अवाप्त भूमि की किस्म के आधार पर अवार्ड जारी किया जाता है। भारत सरकार, सडक परिवहन एंव राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 के 0. 000 कि.मी. से 87.250 कि.मी. राजसमन्द–भीलवाड़ा खण्ड़ तक के भू–खण्ड के निर्माण राजमार्ग चौड़ा करने/चार लेन बनाने आदि हेतु अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए हितधारको की भूमि को राजमार्ग निर्माण के लिए वैधानिक कार्यवाही का निष्पादन राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अधीन किया गया है जिसके तहत आमजन को राजमार्ग पर आवागमन को सुगम बनाने एंव समय बचत करने के लिए बनाया गया है जिसका लाभ समाज का प्रत्येक नागरीक सुचारु रुप से प्राप्त कर रहा है। प्रार्थीगण द्वारा कुआँ, संरचना मकान, बारकोट आदी का मुआवजा वर्तमान डीएल.सी. दर के आधार पर तथा मार्केट वेल्यू के आधार पर गणना कर मुआवजा प्राप्त करना चाहता है जो सम्भव नही है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। विचाराधीन प्रकरण में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act- 2013) के प्रावधान प्रभावी नहीं होते है। आप श्रीमान् न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य विचारणीय ना होकर केवल मात्र पूर्व पारित मुल एवार्ड का परिक्षण ही किया जाना है। अन्य साक्ष्य एंव अन्य तथ्यों का संबंध सक्षम प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय से एंव भारत संघ सडक परिवहन राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित है। जारी की गई अवाप्ति सुचनाओं के संबंध में प्रभावी दिनांक को लेकर कोई तथ्य सुसंगत रुप से स्पष्ट किया जाना है या कोई भी पक्षकार स्वयं को पिडीत महशुस करता है, तो उसके लिए आर्टिकल 226, 227 के तहत शक्तियां केवल मात्र माननीय उच्च न्यायालय में निहित है, भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान दिनांक 01.01.2015 से प्रभावित होने से प्रार्थीगण इस अधिनियम के तहत अब कोई अतिरिक्त राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचाराधीन प्रकरण पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act- 2013) प्रकरण पर अक्षरशः लागु नहीं होता है। तोषण की राशि रा0रा0अधिनियम की धारा 3 (ए) के तहत वर्जित है। जारी की गई अवाप्ति सुचनाओं के संबंध में प्रभावी दिनांक को लेकर कोई तथ्य सुसंगत रुप से स्पष्ट किया जाना है जिसका अनुसरण इस स्तर पर आप श्रीमान् अदालत द्वारा किया जाना

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

क्षेत्राधिकारीता से परे होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाये जाने योग्य है। प्रार्थीगण की भूमि अवाप्ति की कार्यवाही जिला कमेटी द्वारा डी.एल.सी. दर निर्धारित कर जारी की गई जो सभी भूमि धारको को दी गई उसी दर से प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि का अवार्ड जारी किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपनी अवाप्त भूमि किस किस्म की है उसका कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है एवं पडौस की भूमि की अवार्ड के आधार पर अवार्ड जारी नही किया जा सकता क्योंकि सभी अवाप्त भूमि की किस्म के आधार पर अवार्ड जारी किया जाता है। प्रार्थीगण न ही किसी तोषण राशि को प्राप्त करने का अधिकारी है न ही किसी प्रकार से कोई अन्य राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाये जाने योग्य है। हस्तगत प्रकरण में मुआवजा अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार ही दिया गया है। कानूनन भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित मुआवजा आदेश में वृद्धि किये जाने का कोई विधिक एंव तथ्यात्मक आधार अभिलेखानुसार एंव मौके कि स्थिति के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाया जाने से पारित अवार्ड में किसी प्रकार की अनियमितता व कानून का उल्लंघन नहीं होने से अवार्ड राशि में वृद्धि किया जाना विधि अनुसार संभव नहीं है। अतः प्रार्थीगण का क्लेम प्रार्थना पत्र विरुद्ध विपक्षीगण निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे चूंकि प्रार्थीगण कानूनन न तो कोई बढी हुई मुआवजा राशि पाने का अधिकारी है न ब्याज या अन्य कोई तोषण राशि। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का आदेश न्यायहित में बक्षाया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम रावों का खेड़ा, पटवार हल्का घाटी, तहसील व जिला राजसमन्द में आराजी संख्या 145 की भूमि व अन्य सम्पत्ति, जो विपक्षीगण द्वारा अवाप्त कर ली गई और अवार्ड पारित किया गया, जो पत्रावली/अधि. सू.क्रमांक 3014 (अ) दिनांक 04/10/2013/ दिनांक 02/07/2015 है। उपरोक्त भूमि एवं उससे सम्बन्धित सम्पत्ति हेतु 10,30,320/– अक्षरे दस लाख तीस हजार तीन सौ बीस रूपये का अवार्ड जारी कर प्रार्थीगणा को अदा किया गया। प्रार्थीगण को जब राशि अदा की गई, तो आश्वस्त किया गया था कि अन्य शेष अवार्ड राशि कुछ समय पश्चात् अदा कर दी जायेगी, लेकिन नही की। उक्त आराजी के सम्बन्ध में विपक्षीगण द्वारा (कुंआ सरंचना, मकान आदि बारकोट अन्य) सम्पत्ति का मुआवजा राशि 1,03,241/– अदा किये गये है जो मुआवजा राशि विपक्षीगण द्वारा बहुत ही कम दी गई है, जबकि उस समय बाजार दर अनुसार करीबन 10,00,000/– अक्षरे दस लाख रूपये का खर्च कर बाउण्ड्री का निर्माण करवाया था व वर्तमान में भी इससे अधिक राशि बाउण्ड्री निर्माण में खर्च होती है। इस प्रकार प्रार्थीगण 10,00,000/– अक्षरे दस लाख रूपये अतिरिक्त पाने की अधिकारीणी है।उक्त प्रकरण में भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 लागू होने के उपरान्त भी प्रथम अनुसूचि के अनुसार भूमि का मुआवजा तय नहीं किया गया है एवं प्रार्थीगण को अन्य के मुकाबलें बहुत कम मुआवजा दिया गया है। उक्त अनुसार प्रार्थीगण की मुआवजा राशि तय कराई जावें तथा मुआवजा/क्षतिपूर्ति राशि के साथ शत प्रतिशत तोषण राशि (solatium) भी प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। साथ ही विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीग्ण की उक्त अवाप्त भूमि की जो मुआवजा राशि 9,27,079/– अक्षरे नौ लाख सत्ताईस हजार उन्यासी रूपये रूपये दी गई है, वह बहुत ही कम दी गई है, जबकि उक्त भूमि का तत्कालिन बाजार मुल्य 14,00,000/– अक्षरे चौदह लाख रूपये प्रति बीघा है और उक्त अवाप्त भूमि के आसपास की भूमियों का पंजीयन भी 10 से 14 लाखा प्रति बीघा से हो रखा है। इस प्रकार प्रार्थीगण उक्त अवाप्त भूमि के 36,00,000/– अक्षरे छत्तीस लाख रूपये लगभग अतिरिक्त मुआवजा

राशि पाने का अधिकारी है व उक्त राशि पर ब्याज व मानसिक संताप राशि के रूप में र 4,00,000/– अक्षरे चार लाख रूपये भी प्राप्त करने की अधिकारीणी है। इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा अवाप्त भूमि व उस पर स्थित सम्पत्ति आदि हेतु प्रार्थीगण, विपक्षीगण से अवार्ड राशि से अतिरिक्त राशि उपर वर्णित अनुसार 54,00,000/– अक्षरे चौवन लाख रूपये लगभग प्राप्त करने के अधिकारी है तथा उक्त राशि पर अवार्ड तारीख से आज तक 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी है। जो दिलवायी जावें।

विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि राजस्व ग्राम रावों का खेड़ा, पटवार मण्डल घाटी, तहसील व जिला–राजसमंद में स्थित आराजी नम्बर 145 रकबा 0.4810 हेक्टयर, के अवाप्ति में अवाप्त की गई भूमि के संबंध में नियमानुसार नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 03 (ए) के प्रावधानों के तहत तत्समय अवाप्ति कार्यावाही प्रचलित डी.एल.सी. दर बाबत् उप पंजीयक कार्यालय से प्राप्त जिला स्तरीय कमेटी (डी.एल.सी.) की कोई समुचित रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत नहीं की है जिसके आधार पर विवादित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः जिला स्तरीय कमेटी (डी.एल.सी.) की समुचित रिपोर्ट के अभाव में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से निरस्त होने योग्य है। प्रार्थीगण की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत भी पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि विवादग्रस्त आराजी नम्बर 145 रकबा 0.4810 हेक्टयर, की भूमि किस श्रेणी में आती है। प्रार्थीगण की और से अवाप्त भूमि के संबंध में आबादी एवं वाणिज्यिक भूखण्डों के स्वामित्व बाबत् किसी भी प्रकार का कोई विधिक दस्तावेज या पट्टा प्रमाण आदि प्रस्तुत नहीं किया जबकि धारा 03 (जी) (7) (ए) में स्पष्ट वर्णित है कि The Market value of the land on the date of publication of the notification u/s 3 (A) ऐसी दशा में जिस दिनांक को नोटिफिकेशन 3 (ए) का प्रकाशन हुआ उस दिनांक को जो भी भूमि की किस्म रही है, उसी का मुआवजा प्रार्थीगण प्राप्त करने की अधिकारीता रखता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा नियमानुसार डी.एल.सी. दर के हिसाब से प्रार्थीगण को अवार्ड जारी किया है। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही जिला कमेटी द्वारा डी.एल.सी. दर निर्धारित कर जारी की गई जो सभी भूमि धारको को दी गई उसी दर से प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि का अवार्ड जारी किया गया। विचाराधीन प्रकरण में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act- 2013) के प्रावधान प्रभावी नहीं होते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

विपक्षी संख्या 02 व 03 के अधिवक्ताओं ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी की अवाप्त शुदा भूमि का मुआवजा नियमानुसार तत्समय प्रचलित DLC Rate अनुसार ही किया गया है। अवाप्त की गई भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार कृषि भूमि दर्ज थी जो कि वर्तमान में NHAI के खाते में दर्ज है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना को सव्यय खारिज फरमावे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह अवगत कराया गया कि उनको जो अवार्ड दिया गया है। वो RFCTLARR ACT 2013 के प्रावधानों के तहत नहीं दिया गया है तथा तोषण (solatium) राशि की गणना नहीं की गयी है तथा अवार्ड का भुगतान बाजार दर से नहीं किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रकरण में अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर हुआ कि प्रकरण में अवार्ड दिनांक 02.07.2015 को जारी किया गया और इस अवार्ड का अध्ययन करने पर इसमें यह जाहिर हुआ कि मुआवजे का जो भुगतान किया गया है वो DLC दर के अनुसार किया गया है। परन्तु किसी प्रकार के तोषण (solatium) राशि की गणना नहीं की गयी है। अर्थात जो अवार्ड जारी किया गया है। वह राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। परन्तु प्रकरण में अवार्ड दिनांक 01.01.2015 के बाद जारी किया गया है। तो इस प्रकार के प्रकरणों में भारत सरकार के विधि एवं न्याय अनुभाग द्वारा उक्त संबंध में अधिसूचना जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण अधीनस्थ कार्यालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार कर प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि अवार्ड का निर्धारण RFCTLARR ACT 2013 के प्रावधानों के अनुरूप करते हुए संशोधित अवार्ड जारी करे। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थन कार्यालय की मूल अवार्ड पत्रावली कार्यालय सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 27.02.2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)